फाइल संख्या-71-1001/191/2020

112/2021/।/81907/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 23 जुलाई, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/189, दिनॉक 02-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर के निर्माण के सापेक्ष सृजित जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 174.28 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर हेतु अनुमोदित लागत रू0 49598.26 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 47118.45 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 85,63,000/- (रू0 पचासी लाख तिरसठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाकघर में नही रखा जायेगा।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- शासनादेश संख्या-16/2015/56/71-1-2015-जी-137/2007, दिनॉक 12.02.2015 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।
5- जी0एस0टी0 के संदर्भ में विद्यमान नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आंकलन से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
6- द्विरावृत्ति से बचने हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य की मदों के अन्तर्गत कोई अन्य 'कर' का भुगतान नहीं किया गया है।
7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के उपरान्त जी0एस0टी0 की अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-54-मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनॉक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या–उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
8- नियोजन-अनुभाग-4
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।